आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

क्रमांक.अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/प्रे. 633 जयपुर, दिनांकः 30.09.2014

कार्यालय आदेश -14/23

विद्युत तंत्र से होने वाली घातक एवं अघातक दुर्घनाओं को रोकने के लिए तीनों वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों की दिनांक 07.06.2014 को आयोजित बैठक में लिये निर्णयों के अनुरूप पत्र संख्या No. Chairman Discoms/MIS/D.372 Dt. 10.06.2014 द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग व वितरण तंत्र दुर्घटना-रहित बनाते हुये संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को पूरी तरह खत्म करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। विद्युत तंत्र से घातक व अघातक दुर्घटनाये चाहे वे कर्मचारियों से संबंधित हो या आम जन से, पूरी तरह रोका जाना वितरण निगमों का उद्देश्य होना चाहिए। इस क्रम में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्न निर्दश दिये जाते है :-

1. अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक कर्मचारी, लाईन पार्टी एवं सब-स्टेशनों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों।
2. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नियत दिवस पर अधिशाषी अभियन्ता अपने अधिनस्थ सभी उपखण्डों में पहुंचकर उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों की जांच करेगें एवं सुरक्षा उपकरणों के उपयोग में लिये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण/निर्देश कर्मचारियों को देगें।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (एमएम) यह सुनिश्चित करेगें कि सभी कर्मचारियों को, लाईन पार्टियों को एवं 33 के.वी. सब-स्टेशनों पर सुरक्षा उपकरण जैसे रबर के दस्ताने, इन्सूलेटेड प्लायर, इन्सूलेटेड पेचकस,इन्सूलेटेड जूते, हैलमेट, अर्थिंग चैन, सेफ्टी बैल्ट, सीढ़ी, लाईव लाईन डिटैक्टर इत्यादि उपलब्ध हो।
4. अधीक्षण अभियन्ता वृत स्तर पर सुरक्षा उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगें एवं समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण हेतु दलों का गठन कर सुरक्षा उपकरणों के उचित प्रयोग किये जाने की स्थिति का निरीक्षण करावेगें। दोषी कर्मचारियो/अधिकारियों के विरूद्ध सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न किये जाने की स्थिति में तुरंत प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।
5. ऐसे कर्मचारी जिनके पास उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न हो उनको वितरण तंत्र पर काम न कर अन्य कार्यो को करने हेतु स्पष्ट आदेश प्रदान करेगें। कोई भी कर्मचारी बिना सुरक्षा साधनों के कार्य न करें।
6. फीडर इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत ढीले तारों व टेढें हो गये पोलों कों ठीक करने का कार्य नवम्बर, 2014 तक एवं लम्बे स्पॉनों में भूमि से उचित ऊँचाई रखने हेतु चिन्हित स्थानों पर पोल लगाने का कार्य मार्च, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य है परन्तु ऐसे स्थान जो कि दुर्घटना संभावित है उनको प्राथमिकता पर दुरूस्त कर दिया जावे ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
7. अधिकांश विद्युत दुर्घटनायें, सावधानी पूर्वक कार्य करने, उचित व स्पष्ट संवाद द्वारा शट डाउन लेने, सुरक्षा उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण लेकर सुरक्षा साधनों को कार्य में लेने एवं कार्य स्थल के दोनो ओर अर्थ चैन द्वारा लाईन अर्थ करने मात्र से ही रोकी जा सकती है।
8. किसी भी दुर्घटना की स्थिति में नामित अधिशाषी अभियन्ता तुरंत प्रभाव से मौके का निरीक्षण करें व दुर्घटना के कारणों सहित जांच रिपोर्ट 3 दिवस में अधीक्षण/संभागीय मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम को प्रस्तुत करें एवं इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनर्रावृति न हो इसके लिए ठोस कार्यवाही की जावे।

फोन : (0141) 2747064 (का.) • फैक्स : (91) (141) 2747015 • ई-मेल : chairmandiscoms@jvvnl.in

9 अपने अधिनस्थ कार्यालय क्षेत्रों में दौरों के दौरान अधिकारी चल रहे कार्यो का यथा संभव निरीक्षण करेगें एवं सुरक्षा उपकरणों के उपयोग किये जाने की भी जांच करेगें। प्रत्येक मंगलवार को 33 के.वी. सब–स्टेशनों पर आयोजित चौपालों के दौरान सुरक्षा साधनों की उपलब्धता एवं उनको प्रयोग में लिये जाने की स्थिति एवं संबंधित पंजिकाओं का भी निरीक्षण करेगें।

10 विद्युत दुर्घटनायें रोकने के लिए सहायक अभियन्ता से संभागीय मुख्य अभियन्ता तक सभी अधिकारी जिम्मेदार होगें एवं विद्युत दुर्घटनाओं में लाई गयी कमी का आंकलन उपखण्ड स्तर से संभाग स्तर तक प्रत्येक माह गत वर्ष की तुलना में रिर्पोटिंग माह तक कर्मचारियों अथवा आम जन की घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं में लाई गयी कमी को निम्न श्रेणियों के अनुसार किया जावेगा :

ए – 100 प्रतिशत की कमी
बी – 100 से कम व 80 प्रतिशत तक कमी
सी – 80 से कम व 60 प्रतिशत की कमी
डी – 60 प्रतिशत से कम

11 उपरोक्त ए, बी, सी, डी श्रेणीवार दुर्घटनाओं की स्थिति के अनुरूप ही सभी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में उत्कृष्ट से खराब स्थिति का आंकलन दर्ज किया जावेगा।

12 वृत स्तर पर कार्मिक अधिकारी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिलाने एवं दुर्घटनाओ संबंधित सूचनाओं का संकलन कर संभागीय मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजेगें।

13 संभागीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर प्रतिमाह सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण एवं दुर्घटनाओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में लाई गयी कमी का उपखण्ड/खण्ड/वृतवार विवरण निदेशक (तकनीकी) को प्रत्येक माह की 8 तारीख तक भेजा जाना सुनिश्चत किया जा सके।

14 मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, विद्युत घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं संबंधी सूचनाओं का उपखसण्ड/खण्ड/वृत /निगम/राज्य स्तर पर संकलन कर अध्यक्ष डिस्कॉम्स को प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी होगें।

30/9/14

(आर.जी.गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी),जयपुर अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,
3. मुख्य अभियन्ता (एमएम/सेफ्टी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ... को अधिनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु।
5. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
6. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

30/9/14

(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)